न्यायालय: अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी	–	**नितिन ओजवानी (आर.जे.एस.)** (यू.आई.डी आरजे 01538)
फौजदारी प्रकरण सं.	–	825/2015
सीआईएस नंबर	–	1005/2016
एफआईआर नंबर	–	33/2015, पुलिस थाना अरांई
सीएनआर नंबर	–	RJAJ18–001350–2015

राजस्थान राज्य

बनाम

01. **श्योराम** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 44 साल।
02. **हरचंद** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 60 साल।
03. **विश्राम** पुत्र हरचंद, उम्र तत्समय 28 साल।
04. **जीतराम** पुत्र सत्यनारायण, उम्र तत्समय 19 साल।
05. **रामेश्वर** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 32 साल।
06. **हनुमान** पुत्र सत्यनारायण, उम्र तत्समय 21 साल।
07. **लाली** पत्नी श्योराम, उम्र तत्समय 42 साल।
08. **श्योराम** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 46 साल।
09. **बद्री** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 26 साल।
10. **किशनलाल** पुत्र धूकल, उम्र तत्समय 60 साल।
11. **सुदाम** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 40 साल।
12. **सत्यनारायण** पुत्र किशनलाल, उम्र तत्समय 35 साल।
13. **सुरता** पत्नी श्योराम, उम्र तत्समय 40 साल।
14. **मोहन** पत्नी सुदाम, उम्र तत्समय 35 साल।
15. **रामगोपाल** पुत्र श्योजी, उम्र तत्समय 35 साल।
16. **रामेश्वर** पुत्र किशनलाल, उम्र तत्समय 25 साल।
17. **जतन** पुत्र श्योजी, उम्र तत्समय 33 साल।
18. **सोहन उर्फ सोनी** पुत्र भूरा, उम्र तत्समय 53 साल।

सर्वनिवासीगण खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, थाना अरांई, जिला अजमेर।

– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 147, 149, भादसं.

उपस्थित:–

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री हीरालाल चौधरी, अभियुक्तगण की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक: 23.03.2026**

1. यह पत्रावली श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अजमेर के आदेश दिनांकित 21.11.2016 की पालना में न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक

मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर से इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2017 को अंतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना अरांई द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र एफआईआर संख्या 33/2015 के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 147, 149 भादसं. में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज किया गया।

3. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी श्री सत्यनारायण ने दिनांक 16.05.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अरांई में इस आशय की प्रस्तुत की कि, दिनांक 15.05.2015 को लगभग सांय 6 बजे करीब मेरे घर पर आकर श्योजी, सोनी पुत्र भूरा जाट व गोपाल, रामरतन, जतन, बद्री पुत्र श्योजी जाट व शैतान पुत्र सोनी जाट व किसना पुत्र धूकल जाट व सत्यनारायण, रामेश्वर पुत्र किसना जाट व हरचंद, शिवराज, सुदाम पुत्र उगमा जाट व विश्राम पुत्र हरचंद जाट व कमल पुत्र शिवराज जाट व नंदू पत्नी हरचंद जाट व सुरता पत्नी शिवराज जाट व मोहनी पुत्र सुदाम जाट व सीता पत्नी विश्राम जाट व मिश्री पत्नी सोनी जाट व सुप्यार पत्नी श्योजी जाट व किसनी पत्नी किसना जाट व लाली पत्नी शिवराज जाट व शिवराम पुत्र रिद्धकरण जाट व रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण जाट व खुशीराम पुत्र शिवराम जाट व हनुमान पुत्र सत्यनारायण जाट व जीतराम पुत्र सत्यनारायण जाट व बडी, शिवराज पुत्र रिद्धकरण जाट नि. खण्डया की ढाणी, परसी, कुल्हाडियां व सरिया लेकर आये और हमें बेरी तरह से गाली गलौंच करते हुए सामूहिक रूप से हम पर हमला मारपीट कर दी, जिससे मुझ प्रार्थी के सिर में चोट लगी व खून निकल गया व अन्य जगह भी चोट लगी तथा सत्यनारायण पुत्र लादू जाट के भी मुंह पर चोट लगी व गिरधारी पुत्र रामरतन जाट के सिर में तथा जगह जगह चोटी लगी व बेहोश हो गया। रामरतन पुत्र रघुनाथ जाट के दाढी पर चोट लगी व खून निकल गया। हरबख्श पुत्र रघुनाथ जाट के भी जगह जगह चोट लगी तथा थोडी देर बाद ही हमलावर गोपाल पुत्र श्योजी व श्योजी पुत्र भूरा जाट ने हमारे धर पर जाकर घर में घुसकर हमारे परिवार की महिला सदस्यों नंदू पत्नी जगदेव जाट के साथ व प्रेम पत्नी सत्यनारायण जाट के साथ भी लातों–घूंसों से व लकडी से मारपीट की, जिससे नंदू के

व प्रेम के भी जगह जगह चोट लगी। हमें हमरी जान माल का उक्त व्यक्तियों से पूरा खतरा है क्योंकि ये व्यक्ति हमारे से रंजिश रखते हैं......इत्यादि।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी के द्वारा विस्तृत अनुसंधान कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला बनना पाये जाने पर धारा 323, 325, 147, 149 भादसं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या उक्त धाराओं के अपराध का बनना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को तलब किया गया।

6. अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उक्त धाराओं के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

7. हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूबान व अभियुक्तगण के द्वारा धारा 323, 325 भादसं. में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें धारा 325 भादसं. में अनुमति राजीनामा प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा धारा 323, 325 भादसं. में राजीनामा दिनांक 06.03.2026 को प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही तस्दीक किया गया। अतः यह निर्णय अभियुक्तगण के विरूद्ध केवल धारा 147, 149 भादसं. के तहत निम्नानुसार किया जा रहा है।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए–

दस्तावेजी साक्ष्य:–

क्र.सं.	दस्तावेज विवरण	प्रदर्श
1.	नक्शामौका घटनास्थल	प्रदर्श पी 1
2.	तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी 2
3.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी 3
4.	चोट प्रतिवेदन मजरूब गिरधारी	प्रदर्श पी 4
5.	चोट प्रतिवेदन मजरूब सत्यनारायण	प्रदर्श पी 5
6.	चोट प्रतिवेदन मजरूब हरीबक्ष	प्रदर्श पी 6

7.	चोट प्रतिवेदन मजरूब रामरतन	प्रदर्श पी 7
8.	चोट प्रतिवेदन मजरूब प्रेम	प्रदर्श पी 8
9.	चोट प्रतिवेदन मजरूबा नंदू	प्रदर्श पी 9
10.	गवाह प्रेम के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 10
11.	गवाह हरिबख्श के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 11
12.	गवाह रामरतन के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 12
13.	गवाह नंदू के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 13

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या
1.	सांवरलाल	पी.डब्ल्यू 1
2.	सत्यनारायण	पी.डब्ल्यू 2
3.	गोगाराम	पी.डब्ल्यू 3
4.	गिरधारी	पी.डब्ल्यू 4
5.	प्रेमदेवी	पी.डब्ल्यू 5
6.	अशोक कुमार जाट	पी.डब्ल्यू 6
7.	प्रेम	पी.डब्ल्यू 7
8.	हरिबख्श	पी.डब्ल्यू 8
9.	रामरतन	पी.डब्ल्यू 9
10.	नंदू	पी.डब्ल्यू 10

9. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिंदु उत्पन्न होता है–

''क्या अभियुक्तगण द्वारा 15.05.2015 को स्थान खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, अरांई में सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य रखते हुए विधि विरूद्ध जमाव का हिस्सा होते हुए विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी व उसके परिवारजन के साथ बल व हिंसा का प्रयोग किया ?

यदि हॉ, तो उपरोक्त दंड क्या हो ?

10. उक्त अवधार्य बिंदु के संबंध में बहस अंतिम उभय पक्षकारान की सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि

पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्तगण को कडे से कडे दंड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों का प्रतिवाद करते हुए मुख्य रूप से यह कथन रहा कि अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया है एवं साथ ही प्रकरण में परिवादी/मजरूबान व अभियुक्तगण के मध्य धारा 323, 325 भादसं. में राजीखुशी राजीनामा हो चुका है जो कि न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामे की अनुमति दी गयी है। अंत में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित नहीं होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधाभास तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान उपस्थित हुए उनमें प्रकरण का रिपोर्टकर्ता सत्यनारायण गवाह पी.डब्ल्यू 2 व अन्य चक्षुदर्शी गवाहान में गवाह पी.डब्ल्यू 4 गिरधारी, गवाह पी.डब्ल्यू 7 प्रेम, गवाह पी.डब्ल्यू 8 हरिबख्श, गवाह पी.डब्ल्यू 9 रामरतन, गवाह पी.डब्ल्यू 10 नंदू प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह हैं। उक्त गवाहों के बयान अभियुक्तगण के प्रकरण में संलिप्त रहने बाबत अत्यधिक महत्व रखते हैं। उक्त गवाहों में यदि सर्वप्रथम प्रकरण के रिपोर्टकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू 1 सत्यनारायण के बयानों का अवलोकन करें तो इस गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में मुख्य रूप से अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना की दिनांक को घटनास्थल पर उसके व उसके परिवारजन प्रेम, नंदू, हरबख्श, गिरधारी के साथ कुल्हाडी, सरियों, परसी, लाठी व थाप–मुक्कों से मारपीट किया जाना, जिससे उनके चोटें आना एवं इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पुलिस थाना अरांई में देने व प्रदर्श पी 3 चाक एफआइआर पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं। प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू 4 गिरधारी ने भी अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना की दिनांक को घटनास्थल पर उसके, प्रेम,

नंदू, हरबख्श, गिरधारी व सत्यनारायण के साथ कुल्हाडी, सरियों, लाठी से मारपीट किया जाना, जिससे उनके चोटें आने के कथन किये हैं। प्रकरण का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 1 सांवर लाल नक्शामौका का गवाह है जिसकी पुष्टि उक्त गवाह द्वारा प्रदर्श पी 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से की गयी है एवं यह कथन किये हैं कि नक्शामौका मारपीट के मामले में उसके सामने मौके पर बनाया था एवं किस समय बनाया यह याद नहीं है, उसके अलावा किन किन के हस्ताक्षर किये यह याद नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह में उक्त गवाह द्वारा नक्शामौका पर गवाह गोगाराम व मुस्तगीस सत्यनारायण के वहां पर मौजूद होने के कथन किये। अपनी जिरह में उक्त गवाह द्वारा घटना के समय स्वयं का मौके पर होना जाहिर किया एवं उक्त नक्शामौका दिनांक 15.05.2015 को बनाया जाना बताया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 1 पर गवाह गोगाराम, गवाह सांवरलाल व परिवादी सत्यनारायण के हस्ताक्षर अंकित है जो कि घटना के अगले दिन बनाया जाना दर्शित है। वहीं प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी गवाहान पी.डब्ल्यू गवाह पी.डब्ल्यू 7 प्रेम, गवाह पी.डब्ल्यू 8 हरिबख्श, गवाह पी.डब्ल्यू 9 रामरतन, गवाह पी.डब्ल्यू 10 नंदू जो कि प्रकरण के मजरूबान भी हैं, के न्यायालय के समक्ष हुए बयानों का एकसाथ अवलोकन किया जाये तो उक्त सभी गवाह/मजरूबान न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उक्त सभी गवाहों द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के बयानो में एक स्वर में उन्हें इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं हेाना स्पष्ट जाहिर किया है। उक्त सभी गवाहों द्वारा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में भी एक स्वर में यह जाहिर किया कि उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की। उनके स्वयं गिरने से चोट आ गयी थी। उनका राजीनामा हो गया है। वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। साथ ही उक्त गवाहों द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 11, प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श पी 13 पुलिस को नहीं दिया भी साफ जाहिर किया गया है।

यद्यपि प्रकरण के रिपोर्टकर्ता/परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 2 सत्यनारायण व गवाह पी.डब्लयू 4 गिरधारी द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना की दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर उनके व उनके परिवारजन के साथ मारपीट किया जाना व उससे उनके चोटें आने के कथन किये हैं एवं नक्शामौका का गवाह पी.डब्ल्यू 1

सांवर लाल ने भी उक्त नक्शामौका प्रदर्श पी 1 पुलिस द्वारा मौके पर बनाये जाने के दौरान स्वयं का व परिवादी सत्यनारायण व गवाह गिरधारी का उपस्थित होना व नक्शामौका पर स्वयं के व मुस्तगीस सत्यनारायण व गवाह गिरधारी के हस्ताक्षर होना जाहिर किया है, परन्तु उनके परिवारजन प्रकरण के मजरूबान गवाह पी.डब्ल्यू 7 प्रेम, गवाह पी.डब्ल्यू 8 हरिबख्श, गवाह पी.डब्ल्यू 9 रामरतन, गवाह पी.डब्ल्यू 10 नंदू न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहों द्वारा एक स्वर में प्रकरण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होना स्पष्ट जाहिर किया है। साथ ही उक्त सभी गवाहों द्वारा उनके साथ किसी के द्वारा भी मारपीट नहीं किया जाना व उनके स्वयं गिरने से चोट आ जाने के स्पष्ट कथन किये हैं। साथ ही उक्त गवाहों द्वारा अपने पुलिस बयान पुलिस को नहीं दिया भी साफ जाहिर किया गया है एवं साथ ही उक्त गवाहों द्वारा यह जाहिर है कि उनका राजीनामा हो गया है अब वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः उक्त समस्त गवाहों के बयानों से अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताइद नहीं होती है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन के विवेचन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.03.2026 को मुल्जिमान के साथ परिवादी/मजरूबान का राजीनामा अन्तर्गत धारा 323, 325 भादसं. हो चुका है। साथ ही चूंकि परिवादी व आहतगण द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा होना जाहिर किया है तथा अपने सशपथ बयानों में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया है जो कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149 भादसं. किये जाने के संबंध में न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करता हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित जिन अपराधों का विचारण शेष है उनमें अपराध कारित करने के लिये सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का होना आवश्यक तत्व है एवं विधि विरूद्ध जमाव के अपराध के सृजन में कम से कम पांच व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रत्येक का एक–दूसरे के सामान्य उददेश्य में भागीदार होना भी आवश्यक है, परंतु न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए बल व हिंसा किये जाने के तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का सह–अभियुक्तगण के

साथ मिलकर संख्या में पांच या पांच से अधिक होते हुए विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा किया जाना नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में गवाहान की साक्ष्य से अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149 भादसं. युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हो पाया है।

14. चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सकारात्मक रूप से साबित करने का संपूर्ण दायित्व एवं भार अभियोजन पक्ष का होता है, परंतु उपर्युक्त विवेचना से यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अपितु अभियुक्तगण के द्वारा अपराध कारित किया जाना संदेहास्पद है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होने पर संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

15. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध कि, अभियुक्तगण द्वारा 15.05.2015 को स्थान खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, अरांई में सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य रखते हुए विधि विरूद्ध जमाव का हिस्सा होते हुए विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी व उसके परिवारजन के साथ बल व हिंसा का प्रयोग किया, को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

– <u>आदेश</u> –

16. अतः अभियुक्तगण **01. श्योराम** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 44 साल, **02. हरचंद** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 60 साल, **03. विश्राम** पुत्र हरचंद, उम्र तत्समय 28 साल, **04. जीतराम** पुत्र सत्यनारायण, उम्र तत्समय 19 साल, **05. रामेश्वर** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 32 साल, **06. हनुमान** पुत्र सत्यनारायण, उम्र तत्समय 21 साल, **07. लाली** पत्नी श्योराम, उम्र तत्समय 42 साल, **08. श्योराम** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 46 साल, **09. बद्री** पुत्र रिद्धकरण, उम्र तत्समय 26 साल, **10. किशनलाल** पुत्र धूकल, उम्र तत्समय 60 साल, **11. सुदाम** पुत्र उगमा, उम्र तत्समय 40 साल, **12. सत्यनारायण** पुत्र किशनलाल, उम्र तत्समय 35 साल, **13. सुरता** पत्नी श्योराम,

उम्र तत्समय 40 साल, **14. मोहन** पत्नी सुदाम, उम्र तत्समय 35 साल, **15. रामगोपाल** पुत्र श्योजी, उम्र तत्समय 35 साल, **16. रामेश्वर** पुत्र किशनलाल, उम्र तत्समय 25 साल, **17. जतन** पुत्र श्योजी, उम्र तत्समय 33 साल, **18. सोहन उर्फ सोनी** पुत्र भूरा, उम्र तत्समय 53 साल, सर्वनिवासीगण खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, थाना अरांई, जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **147, 149 भादसं.** में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्तगण को पूर्व में दिनांक 06.03.2026 को धारा **323, 325 भादसं.** में बरूवे **राजीनामा दोषमुक्त** घोषित किया जा चुका है।

18. अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने बाबत् धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10,000/– रूपये जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका निष्पादित करें, अभियुक्तगण आजाद रहे।

19. अभियुक्तगण के पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके रद्द किये जाते हैं। अतः अपील की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमानतनामा निरस्त समझा जाये। प्रकरण में यदि कोई मालखाना हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(नितिन ओजवानी)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

20. निर्णय आज दिनांक **23.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नितिन ओजवानी)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

GAURAV KUMAR GUPTA
steno gr III "authenticated document"
Digitally signed by GAURAV KUMAR GUPTA
Date: 2026.03.23 17:10:09 +0000